

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला

क्रमांक :- CJM/SR/2025/ 09


दिनांक :- 24/01/2025

:: कार्यालय आदेश ::

मैं करुणा शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक कारणों से इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 02 दिनांक 03.01.2025 व 03 दिनांक 04.01.2025 में आंशिक संशोधन करते किया जाकर दिनांक 25.01.2025 के राजकीय अवकाश के दौरान आवश्यक आपराधिक प्रकरणों यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन, मृत्यु समीक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्य तथा प्रोटोकॉल आदि के लिए जोधपुर जिला मुख्यालय, ओसियां, बालेसर, बिलाड़ा, पीपाड़ शहर, भोपालगढ़ न्यायालयों हेतु पूर्व में अधिकृत न्यायिक अधिकारी श्रीमती श्वेता शर्मा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलाड़ा तथा फलोदी, लोहावट, बाप के न्यायालयों हेतु पूर्व में अधिकृत न्यायिक अधिकारी श्रीमती सुप्रभा देवल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलोदी की ड्यूटी निरस्त कर उनके स्थान पर निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को दिनांक 25.01.2025 के राजकीय अवकाश को सम्पूर्ण जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्य संपादित करने हेतु अधिकृत करती हूँ :-

क्र. स.	अधिकृत न्यायिक अधिकारी का नाम व पदनाम	रिमाण्ड ड्यूटी की दिनांक	क्षेत्राधिकार
1.	श्री आदित्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला	25.01.2025	जोधपुर जिला, बालेसर, बिलाड़ा, ओसियां, पीपाड़ शहर, भोपालगढ़, व फलोदी, बाप, लोहावट न्यायालयों हेतु

इसके अतिरिक्त पूर्वादेश (क्रमांक 02 दिनांक 03.01.2025 व 03 दिनांक 04.01.2025) यथावत रहेंगे।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला

क्रमांक :- CJM/SR/2025/ 89

दिनांक :- 24/01/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला।
2. श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश महोदय, पोक्सो न्यायालय, जोधपुर जिला।
3. श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला/फलोदी/बालेसर/बिलाड़ा।
4. श्रीयुत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-01 व 02 फलोदी/पीपाड़ शहर/बिलाड़ा/बालेसर/ओसियां।
5. श्रीयुत न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला/फलोदी/बालेसर/पीपाड़ शहर/भोपालगढ़/बाप/लोहावट/बिलाड़ा। श्रीयुत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, ओसियां।
6. श्रीयुत पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण/फलोदी को प्रेषित कर लेख है कि सभी थानाधिकारियों को सूचित करावें।
7. जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक/प्रहराधिकारी/भारसाधक अधिकारी, आबकारी को सूचित करावें।
8. उपनिदेशक, अभियोजन, जोधपुर।
9. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर सेल, जिला न्यायालय, जोधपुर जिला को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें।
10. कार्यालय प्रति।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला